सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश/ परामर्श कार्य / 2026
नीति परिपत्र सं. 10.2.53 /2026 दिनांक 15th अक्टूबर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल स. SRDQ-11020/6/2025-SRD&Q Division (कम्प्युटर सं. 272527 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Consultancy /2026
Policy Circular No. 10.2.53 / 2026 dated 15th October, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. SRDQ-11020/6/2025-SRD&Q Division (Comp No. 272527)}

विषय: नीति परिपत्र संख्या 10.2.49/2026 और 10.2.50/2026 में संशोधन - स्किल ब्रिज पोर्टल के अनिवार्य उपयोग और मौजूदा प्रमुख कार्मिकों के मूल्यांकन के संबंध में।

Sub.: Amendment to Policy Circular No. 10.2.49/2026 and 10.2.50/2026 - Mandatory Use of Skill Bridge Portal and Assessment of Existing Key Personnel (KPs). reg:-

स्किल ब्रिज पोर्टल पर सूचीबद्ध प्रमुख कार्मिकों (केपी) की सीमित उपलब्धता और निविदा प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीति परिपत्र संख्या 10.2.50/2026 दिनांक 10 जून 2026 के माध्यम से नीति परिपत्र संख्या 10.2.49/2026 दिनांक 10 मार्च 2026 के अनुच्छेद 2.2 में दी गई एकमुश्त छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, चयनित बोलीदाता के प्रमुख कार्मिकों के साक्षात्कार नीति परिपत्र 10.2.49/2026 के अनुच्छेद 2.3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किए जाते रहेंगे। तथापि, किसी भी गैर-empanelled Skill Bridge उम्मीदवार को प्रस्तावित करने पर, बोलीदाता से ऐसे प्रत्येक गैर-empanelled Key Personnel के लिए उसके Overheads में से उस Key Personnel के पारिश्रमिक (Remuneration) का 10% जुर्माने (Penalty) के रूप में वसूल किया जाएगा।

In view of the limited availability of empaneled Key Personnel (KPs) on the Skill Bridge Portal and to ensure smooth conduct of bidding processes, the Competent Authority has decided to extend the one-time relaxation granted vide Policy Circular No. 10.2.50/2026 dated 10th June 2026 regarding the applicability of Para 2.2 of Policy Circular No. 10.2.49/2026 dated 10th March 2026, up to 31st December 2026. Accordingly, the interviews of the KPs of the selected Bidder shall continue to be conducted as per the procedure described in Para 2.3 of Policy Circular 10.2.49/2026 through Skill Bridge Portal. However, for proposing any non-skill bridge empaneled Candidate, the bidder shall be charged 10% of the remuneration as penalty from its overheads for each of such non-empaneled Key-Personnel proposed in the bid.

2. इसके अतिरिक्त, नीति परिपत्र संख्या 10.2.49/2026 के अनुच्छेद 2.5 के तहत भाराराप्रा की परियोजनाओं पर तैनात सभी मौजूदा प्रमुख कार्मिकों के आकलन के संबंध में, यह प्रक्रिया निम्नलिखित निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सख्ती से पूर्ण की जाएगी।

Further, regarding the mandatory assessment of all existing Key Personnel deployed on NHAI Projects under Para 2.5 of Policy Circular No. 10.2.49/2026, the process shall be completed as per the following strict timeframe:

Contd.....2/-

क्र.सं. S.No.	गतिविधि Activity	समय-सीमा Timeframe
1.	स्किल ब्रिज पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण Mandatory Registration on Skill Bridge Portal	इस परिपत्र के जारी होने के 1 माह के भीतर Within 1 month from issuance of this circular
2.	अनिवार्य साक्षात्कार प्रक्रिया को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना Successfully clearing the mandatory interview process	पंजीकरण की समय-सीमा के बाद अगले 6 माह के भीतर Within 6 months after the registration deadline

3. **दंडात्मक कार्रवाई (Penal Action):** उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई प्रमुख कार्मिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण करने या साक्षात्कार उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी:

Penal Action: Strict compliance with the above timeframe is mandatory. If any Key Personnel fails to register or clear the Interview within the above stipulated timeframe, the following penal actions shall be initiated:

(a) संबंधित प्रमुख कार्मिक (Key Personnel) को वर्तमान कार्यभार पर तब तक कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उनका Skill Bridge पर सफलतापूर्वक पैनल में नामांकन (Empanelment) नहीं हो जाता ।
The concerned Key Personnel shall not be allowed to continue the present assignment until they are successfully empaneled on Skill Bridge.

(b) संबंधित पर्यवेक्षण परामर्शदाता फर्म को अयोग्य प्रमुख कार्मिक को स्किल ब्रिज पर सूचीबद्ध किसी अन्य उपयुक्त कार्मिक से तत्काल प्रतिस्थापित (replace) करना होगा।
The concerned Supervision Consultancy Firm must immediately replace the un-empaneled Key Personnel with a suitable Key Personnel empaneled on Skill Bridge.

(c) इस प्रकार के प्रतिस्थापन के लिए, आरएफपी (RFP) / अनुबंध समझौते और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) एवं भाराराप्रा के मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रासंगिक खंडों के अनुसार परामर्शदाता फर्म पर जुर्माना / कटौती (Penalty / Deduction) कड़ाई से लगाई जाएगी।
For such replacement, penalty / deduction shall be strictly levied on the Consultancy Firm as per the relevant clauses of the RFP / Contract Agreement and existing guidelines of MoRT&H and NHAI.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

15/10/25

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक)समन्वय((i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.